स्वाधीनता दिवस समारोह–2024
अति–आवश्यक / आज जारी हो।

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः– स्वाधीनता दिवस समारोह–2024 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों / सेवाओं के लिये प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

स्वाधीनता दिवस समारोह–2024 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स; विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों / सेवाओं के लिये प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिये निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैः–

1. प्रस्ताव संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अपनी अनुशंषा सहित संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को दिनांक 20.07.2024 तक प्रेषित किये जावें।
2. जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्ताव का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षण व सक्षम स्तर से अनुमोदन (संबंधित मंत्री महोदय) प्राप्त कर विभागीय अनुशंषा के साथ प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को दिनांक 25.07.2024 तक भिजवाया जावें।
3. उक्त प्रस्ताव 8 प्रतियों में प्रेषित किये जावें। विशिष्ट उपलब्धियों / कार्यों का उल्लेख अधिकतम एक पृष्ठ में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जावे।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टयां पूर्ण की जावे।
5. राज्य स्तरीय समारोह (गणतंत्र दिवस / स्वतंत्रता दिवस) में प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित व्यक्तियों / संस्थाओं के प्रस्ताव नहीं भेजे जावे तथा यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुये संलग्न प्रपत्र 1 व 2 में दिनांक 25.07.2024 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त हो जाने चाहिये, ताकि यथा समय अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।**

संलग्नः प्रपत्र।

(sd/-)
(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव

समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव

अशा0 टीप क्रमांकः प0 25(2)मं.म / 2024–01678
जयपुर, दिनांकः 28.06.2024

प्रतिलिपिः
1. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को दिनांक 20.07.2024 तक प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 25.07.2024 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी / सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
7. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(sd/-)
(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव

स्वाधीनता दिवस समारोह–2024 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में **जिला कलक्टर** द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पताः
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या/मोबाईल नं./ई–मेल आदि सहित)
5. जन्म तिथिः
6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरणः
7. क्या इनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ तो उसका विवरणः
8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई हैः
9. जिला कलक्टर की टिप्पणीः
10. अन्य कोई सुसंगत सूचनाः
11. प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था की समाज में सामान्य प्रतिष्ठा कैसी हैः–

जिला कलक्टर के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

स्वाधीनता दिवस समारोह–2024 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में **विभागीय अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव** द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पताः
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या/मोबाईल नं./ई–मेल आदि सहित)
5. जन्म तिथिः
6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरणः
7. क्या इनके विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ तो उसका विवरण देवें:
8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
9. जिला कलक्टर की अभिशंषा प्राप्त है अथवा नहीं:
   (जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित पत्र एवं प्रपत्र की प्रति संलग्न करें)
10. अन्य कोई सुसंगत सूचनाः
11. प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था की समाज में सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने योग्य है या नहीं?
12. क्या उक्त व्यक्ति/संस्था राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु वास्तव पात्रता रखते हैं:
13. क्या उक्त व्यक्ति/संस्था को पूर्व में राज्य स्तरीय समारोह (15 अगस्त एवं 26 जनवरी) के अवसर पर प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित किया गया है, यदि हां, तो विवरण अंकित करें।

प्रशासनिक विभाग के अति0मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक